अधिकारी

...ायालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

...नं. ....

तारीख रजू.............................

मानसिंह **बनाम** हुंकम वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.10.2020	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 23/270, वाके ग्राम उदयपुरा तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके यथास्थिति वनाये रखे। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 08.12.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 08.12.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
8.12.20	बमुजब कोरोना क०/P.O बाबत ...[illegible]...। पत्रावली दिनांक 9/2/21 को पेश हो।	
9-2-21	वकील प्रार्थी ....उपस्थित, साबिक आदेश दिनांक 20/10/20 की पालना में पत्रावली वास्ते ... [illegible] दिनांक 20/4/21 ....को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/2/22	[illegible] ... उपस्थित 22/2/22 [illegible] दिनांक 30/3/22 [illegible]	
30/3/22	वकील प्रार्थी ... उपस्थित। आदेश दिनांक 22/2/22 की पालना में पत्रावली वास्ते ... [illegible] दिनांक 5/4/22 ... पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	Not Pressed 5/4/22
5/4/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना-पत्र पर RTA को और नहीं चलाना चाहते हैं उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र पर RTA को Not Press कर दिया है अतः प्रार्थना पत्र परस्तुत वकील प्रार्थी के Not Pressed में खारिज किया जाता है। पत्रावली नतीजा मुताबिक दाखिल दफ्तर हो। एक प्रति मूल वाद के साथ संलग्न रहे। सुनाया उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	